RJPP, Vol. XXIII, No.II, April 25-Sept.25, ISSN (P): 0976-3635, (e):2454-3411, Impact Factor 8.858
https://doi.org/10.31995/rjpp.2025.v23i02.034

भारतीय समाज में बढ़ते बाल अपराधः कारण और निवारण

डॉ0 मनोरमा राय
विभागाध्यक्ष, (समाजशास्त्र विभाग)
धर्मेन्द्र सिंह मैमोरियल कॉलेज
अटौला मेरठ
ईमेलःdrmanormarai@gmail.com

सारांश

भारतीय समाज में बाल अपराध एक गम्भीर सामाजिक समस्या के रूप में उभर रहा है। बदलते सामाजिक आर्थिक परिप्रेक्ष्य, शहरीकरण, बेरोजगारी, गरीबी, पारिवारिक विघटन और नशे की बढ़ती प्रवृत्ति ने किशोरों को अपराध की ओर प्रेरित किया है, बल्कि यह शिक्षा सामाजीकरण और नैतिक मूल्यों से जुड़ी चुनौती है। बाल अपराध न केवल वर्तमान पीढ़ी के भविष्य को अंधकारमय करता है बल्कि पूरे समाज की नींव को कमजोर करता है यदि समाज समय रहते सजग नहीं हुआ, तो यह समस्या और विकराल रूप ले सकती है। अतः आवश्यक है कि सरकार, समाज परिवार और शिक्षा तंत्र मिलकर सामूहिक प्रयास करे ताकि हर बच्चा एक सुरक्षित, संस्कारित, और सशक्त वातावरण में जीवन जी सके।

मुख्य शब्द

अपराध, बाल अपराध, प्रवृत्ति, स्वस्थ वातावरण, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) परिवीक्षा, रिमाण्ड होम, सुधार ग्रह संरक्षण एवं अधिनियम मानसिक स्वास्थ्य।

Reference to this paper should be made as follows:

Received: 28/08/25
Approved: 15/09/25

डॉ0 मनोरमा राय

भारतीय समाज में बढ़ते बाल अपराधः कारण और निवारण

RJPP Apr.25-Sept.25,
Vol. XXIII, No. II,
Article No.34
Pg. 255-260
Online available at:
https://anubooks.com/journal-volume/rjpp-sept-2025-vol-xxiii-no2-261

https://doi.org/10.31995/rjpp.2025.v23i02.034

प्रस्तावना

बाल्यावस्था जीवन का वह चरण होता है जिसमें एक व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास होता है यह अवस्था अत्यन्त कोमल होती है जहाँ बच्चा अपने आसपास के वातावरण से प्रभावित होकर अपना व्यक्तित्व गढ़ता है। यदि इस अवस्था में उचित देखभाल, संस्कार और शिक्षा न मिले तो, बालक भटक सकता है और अपराध की ओर प्रवृत्ति हो सकता है यही कारण है कि आज के समय में बाल अपराध एक विकराल सामाजिक समस्या बनती जा रही है।

बाल अपराध का तात्पर्य ऐसे किसी भी गैर–कानूनी कार्य से है जो 18वर्ष से कम आयु के बच्चों या किशोरों द्वारा किया जाता है। भारतीय विधि के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति यदि अपराध करता है तो उसे बाल अपराधी माना जाता है और उस पर किशोर न्याय अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है। बाल अपराधों में चोरी, जेब काटना, नशे का सेवन, मारपीठ यौन अपराध, हत्या, अपहरण व गैंग में शामिल होने जैसे अपराध शामिल हो सकते हैं।

वर्तमान समय में समाज में तेजी से बदलते मूल्य, बढ़ती भौतिकता, मीडिया और इंटरनेट की बढ़ती पहुँच, फिल्मों और वीडियो गेम्स के माध्यम से हिंसा का महिमामंडन, बच्चों के मन में गलत प्रभाव डाल रहे हैं। इसके अतिरिक्त पारिवारिक कलह, माता–पिता की उपेक्षा अभाव ग्रस्त जीवन, बाल मजदूरी और शैक्षणिक असफलता जैसे कई कारण बच्चों को अपराध की ओर धकेलते हैं।

आज के समाज में बाल अपराधियों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है। राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो (NCRB) की रिपोर्ट के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में किशोरों द्वारा किये गए गम्भीर अपराधों में उल्लेखनीय बढ़ोत्तरी हुई है यह वृद्धि सिर्फ सांख्यिकी आंकड़ा नहीं है बल्कि यह समाज की उस असफलता की परिचायक है जिसमें हम अपने बच्चों को एक सुरक्षित शिक्षित और नैतिक जीवन नहीं दे पाए।

समाज शास्त्र के दृष्टिकोण से देखे तो बाल अपराध सामाजिक संरचना की विसंगतियों का परिणाम है। जब कोई बालक सामाजिक मान्यताओं, नियमों और मूल्यों से विमुख हो जाता है तो वह अपराध की राह पकड़ सकता है विशेष रूप से शहरी झुग्गी झोपड़ियों में बच्चे जिनके पास शिक्षा पोषण और सुरक्षा की सुविधाएं नहीं होती, वे आसानी से अपराध के शिकार बन जाते हैं या अपराध करने लगते हैं।

यह भी देखने में आया है कि कुछ बच्चे संगठित अपराधों में शामिल हो जाते हैं जैसे उनका इस्तेमाल वयस्क अपराधी अपने लाभ के लिए करते हैं। ये बच्चे कानून के दृष्टिकोण से कम उम्र के कारण जेल से बच जाते हैं, किन्तु उनका जीवन अपराध के दलदल में फँस जाता है ऐसे में पुनर्वास कांऊसलिंग और नैतिक शिक्षा की आवश्यकता अत्यन्त महत्वपूर्ण हो जाती है।

बाल अपराध एक जटिल सामाजिक समस्या है जो केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए चुनौती बनी हुई है इस समस्या की जड़े सामाजिक असमानता, गरीबी, शैक्षिक अवसरों की कमी, परिवार का विघटन, मीडिया का दुष्प्रभाव और नशे की प्रवृत्ति में छिपी हुई है यदि इसे समय रहते नियंत्रित न किया जाय तो यह न केवल किशोरों के जीवन को नष्ट करती है बल्कि समाज की शांति और सुरक्षा को भी खतरे में डाल देती है।

शोध का उद्देश्यः

इस शोध पत्र का उद्देश्य निम्नलिखित हैं–

1. भारतीय समाज में बाल अपराध की प्रवृत्ति और प्रवृत्तियों का अध्ययन करना।
2. बाल अपराध के सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक और पारिवारिक कारणों का विश्लेषण करना।
3. किशोर न्याय अधिनियम और अन्य विधिक प्रवाधानों की समीक्षा करनां
4. बाल अपराधियों के पुर्नवास और समाज में पुनः एकीकरण की चुनौतियों का अध्ययन करना।
5. बाल अपराध की रोकथाम और निवारण हेतु व्यवहारिक सुझाव प्रस्तुत करना।

बाल अपराध की परिभाषा और स्वरूप

संयुक्त राष्ट्र के अनुसार कोई भी अपराध या सामाजिक गतिविधि जो 18 वर्ष से कम उम्र के किशोर द्वारा की जाती है बाल अपराध कहलाता है।

भारत में किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम के तहत इसकी परिभाषा दी गई है।

भारतीय समाज में बाल अपराध की प्रवृत्तियाँ

1. चोरी, जेबकतरी और लूटपाट
2. नशारचोरी और अवैध तस्करी
3. हत्या और बलात्कार जैसे गम्भीर अपराध
4. साइबर अपराध में किशोरों की बढ़ती भागीदारी

बाल अपराधियों का सांख्यिकी आँकड़ा

भारत में पिछले कुछ वर्षों में किशोर अपराधियों की कुल संख्या में कमी आई है, जबकि हिंसक अपराधों में वृद्धि देखी गयी है। 2022 में 18वर्ष से कम आयु के लगभग 30555 व्यक्तियों ने अपराध किये, हालांकि इन अपराधों में हिंसक गतिविधियों का अनुपात बढ़ा है और महाराष्ट्र व मध यप्रदेश जैसे राज्यों में ऐसे मामले अधिक पाये गये हैं।

भारत में बाल अपराध के प्रमुख कारण

- सामाजिक कारण
- आर्थिक कारण
- मनोवैज्ञानिक कारण

बाल अपराध के सामाजिक कारण

1. पारिवारिक कारण

- टूटे परिवार
- सौतेले माता–पिता का व्यवहार
- अनैतिक परिवार
- अशिक्षित माता–पिता

2. परिवार के बाहरी कारण

- बूरी मित्र मण्डली
- पड़ोस का बुरा वातावरण
- बाल अपराध के आर्थिक कारण
- गरीबी
- बेकारी
- छोटे बच्चों का काम करना
- बाल अपराध के मनोवैज्ञानिक कारण
- निम्न बुद्धि स्तर
- अभिरुचियों की कमी

मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति का अभाव बाल अपराध के निवारण के उपाय– बाल अपराध की रोकथाम के लिए कानूनी और सामाजिक दोनों स्तरों पर उपाय किए जाने चाहिए। जिसमें बालकों की शिक्षा, व्यवसायिक प्रशिक्षण, मनोवैज्ञानिक परामर्श, परिवार के साथ सकारात्मक सम्बन्ध सामुदायिक भागीदारी और सुधारात्मक संस्थाओं का सही उपयोग शामिल है। इन उपायों का उद्देश्य बच्चों में अपराध की प्रवृत्ति को रोकना और उनके स्वस्थ मानसिक व सामाजिक विकास को बढ़ावा देना है।

कानूनी और संस्थागत उपाय

बाल न्यायालय और सुचारात्मक संस्थाएँ–

बाल अपराधियों के मामलों के लिए विशेष बाल न्यायालयों की स्थापना की गई है जहाँ उन्हें सुधार ग्रहों में रखकर प्रशिक्षण दिया जाता है और उन्हें वयस्क अपराधियों से अलग रखा जाता है। रिमाण्ड होम जब बाल अपराधी पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाता है तो उसे सुचारात्मक ग्रहों में रखा जाता है जब तक उन पर अदालती कार्यवाही चलती तब तक अपराधी इन्हीं सुधार ग्रहों में रहता है यहाँ पर परिविक्षा अधिकारी बच्चे की शारीरिक व मानसिक स्थितियों का अध्ययन करता है।

परिविक्षा होस्टलः– यह बाल अपराधियों के परिविक्षा अधिनियम के अर्न्तगत स्थापित उन बाल अपराधियों के आवासीय व्यवस्था एवं उपचार के लिए होते हैं जिन्हें परिविक्षा अधिकारी की देख–रेख में परिविक्षा पर रिहा किया जाता है।

बोस्टल संस्था तथा विशेष ग्रहः– यहा उन्हीं बालकों को रखा जाता है जिनकी आयु 15 से 21 वर्ष तक की होती है उन्हें यहाँ प्रशिक्षण तथा निर्देशन दिये जाते है तथा अनुशासन में रखकर उनका सुधार किया जाता है।

किशोर न्याय अधिनियम 2015

किशोर न्याय बोर्ड और बाल कल्याण समिति

सुधार ग्रह और विशेष किशोर पुलिस इकाइयाँ

पुनर्वास और पुनर्सामाजीकरण की नीतियाँ

निवारण एवं पुनर्वास के उपाय

1. **शिक्षा का प्रचारः** व्यवसायिक एवं नैतिक शिक्षा पर बल।
2. **पारिवारिक सुदृढ़ीकरणः** परिवार को भावनात्मक और सामाजिक सहयोग।
3. **आर्थिक सुधारः** गरीबी उन्मूलन और रोजगार उपलब्ध कराना।
4. **मनोवैज्ञानिक परामर्शः** किशारों के लिए कांउसलिंग केन्द्र।
5. **कानूनी सुधारः** कठोर दण्ड की बजाय सुधारात्मक दृष्टिकोण।
6. **सामाजिक जागरूकताः** एन जी ओ और स्वयं सेवी संगठनों की भागीदारी।

सुझावः–

1. शिक्षा प्रणाली में सुधार– किशोरों के लिए रूचिकर व्यवसायिक और व्यवहारिक शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। स्कूलों में मानसिक परामर्श दाताओं की नियुक्ति की जानी चाहिए जो बच्चों की समस्याओं पर उचित मार्गदर्शन दे सके।

2. परिवार को सशक्त बनाना– अभिभावकों के लिए भी प्रशिक्षण कार्यक्रम होना चाहिए ताकि वे बच्चों के साथ संवाद बनाये रखे। स्वरोजगार, गरीबी उन्मूलन योजनाओं के अर्न्तगत परिवारों को आर्थिक सहायता दी जाये।

3. सकारात्मक मनोरंजन और तकनीकी का उपयोग– सोशल मीडिया और फिल्मों के माध्यम से सकारात्मक संदेश फैलाए जाए। बच्चों को तकनीकी का रचनात्मक उपयोग सिखाया जाय जैसे ई–लर्निंग, कोडिंग, आर्ट आदि।

4. सामाजिक सहभागिता– NGOs स्थानीय समुदाय, शिक्षक और युवा संगठनों की एक जुट कर जागरूकता अभियान चलाया जाय। ''सड़क पर रहने वाले बच्चों'', ''स्कूल छोड़ने वालों'' के लिए विशेष हस्तक्षेप योजनाएँ बनाई जाए।

5. नशीली दवाओं से सुरक्षा– किशोरों के बीच बढ़ती नशाखोरी पर रोक लगाने के लिए कड़े नियम और जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाए।

निष्कर्ष

बाल अपराध न केवल वर्तमान पीढ़ी को अंधकारमय करता है बल्कि पूरे समाज की नींव को कमजोर करता है यदि समाज समय रहते सजग नहीं हुआ तो यह समस्या और विकराल रूप धारण कर सकती है। अतः आवश्यक है कि सरकार, समाज परिवार और शिक्षा तंत्र मिलकर सामूहिक प्रयास करे ताकि हर बच्चा एक सुरक्षित संस्कारित और सशक्त वातावरण में जीवन जी सके।

स्थिति अंधकारमय है परन्तु आशा है कि बाल अपराध से मुक्त समाज की धरती पर सुबह जरूर होगी।

संदर्भ

1. राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) भारत में अपराध की वार्षिक रिपोर्ट (विभिन्न वर्षों की) राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) वेबसाइटः https://ncrb.gov.in
2. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR वेबसाइटः https://ncpcr.gov.in
3. UNICEF Reports Juvcnilc Justice and child Profection in India www.unicef.okg

4. बी. के. झा. भारतीय समाज में अपराध एवं न्याय प्रकाशक समाज विज्ञान प्रकाशन, वाराणसी।
5. राम आहूजा– सामाजिक समस्याएँ रावत पब्लिकेशन, जयपुर।
6. शर्मा गोविन्द– भारतीय समाज में बाल अपराध, वाराणसी भारती प्रकाशन 2017।
7. मिश्रा रामेश्वर किशोर अपराध और निवारण दिल्ली प्रकाशन संस्थान 2015।